

an&gt;

Title: Need to take stringent action against the placement agencies involved in human trafficking.

**श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम):** उपाध्यक्ष महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्र और विशेष रूप से झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में गरीबी है और वहां रोजगार का अभाव है। यहां की भोली-भाली लड़कियों को बहला-फुसलाकर नौकरी दिलाने के बहाने महानगरों में लाया जाता है और यहां लाकर उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। इस कार्य में प्लेसमेंट एजेंसियां सक्रिय और संलिप्त हैं। देश में करीब पन्द्रह सौ प्लेसमेंट एजेंसियां पंजीकृत हैं किन्तु करीब पन्द्रह हजार प्लेसमेंट एजेंसियां अवैध रूप से काम कर रही हैं। यही एजेंसियां दूरदराज इलाकों में जाकर बहला-फुसला कर महानगरों में लाते हैं और देह व्यापार में धकेल देते हैं। इस तरह से देश में प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर मानव तस्करी की जा रही है और गरीब लोगों के बच्चों को बेचा जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुप्तचरों द्वारा मानव तस्करी, बच्चों के खरीदने-बेचने एवं दूरदराज की लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह और प्लेसमेंट एजेंसियों का पता लगाया जाए, उसमें सहायता करने वाले तत्वों का पता लगा कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यही आग्रह है।

**HON. DEPUTY-SPEAKER:** Shri Nishikant Dubey and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Laxman Giluwa.

Hon. Members, the House will run up to 1300 hours because we have a meeting of Business Advisory Committee. Therefore, I request the hon. Members whose names I am calling to speak for only one minute each. Otherwise, I will not be able to call other Members.